भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1622

जिसका उत्तर 01 अगस्त, 2024 को दिया जाना है।

.....

आंध्र प्रदेश में बांध पुनर्वास एवं सुधार कार्यक्रम (डीआरआईपी)

1622. श्री बी. के. पार्थसारथीः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आंध्र प्रदेश में बांध पुनर्वास एवं सुधार कार्यक्रम (डीआरआईपी) के अंतर्गत कितने बांधों का पुनर्वास किया जाएगा;

(ख) आंध्र प्रदेश राज्य के लिए डीआरआईपी के अंतर्गत पुनर्वास के लिए परियोजना-वार कितनी निधि जारी की गई है; और

(ग) इन परियोजनाओं की प्रगति क्या है तथा वर्ष-वार इनके पूरा होने की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री राज भूषण चौधरी)

(क) से (ग) बाह्य रूप से वित्त पोषित बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) चरण- II और III के लिए अनुमोदित केंद्रीय मंत्रिमंडल नोट के अनुसार, 667 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ 31 बांधों के पुनर्वास का प्रावधान करने वाली योजना के अंतर्गत सहभागिता करने वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश भी शामिल है। हालांकि, अनुमोदित आबंटन के भीतर पुनर्वास आवश्यकताओं के आधार पर इस परियोजना में बांधों की संख्या को संशोधित किये जाने की छूट है।

इस योजना की अवधि 10 वर्ष (2021-31) की है। डीआरआईपी चरण- II की शुरूआत 12 अक्टूबर 2021 से हो गई है और विश्व बैंक और एशियाई अवसंरचना और निवेश बैंक द्वारा संयुक्त रूप से इसका वित्तपोषण किया जा रहा है।

आंध्र प्रदेश राज्य, विश्व बैंक और भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा निर्धारित तत्परता मानदंडों को पूरा करके डीआरआईपी चरण- II योजना में शामिल अभी होना बाकी है।

******